

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड देहरादून  
पत्रांक 333 / विकास कार्य / नि0सू0 / 2023-24 दिनांक 10/7/2023  
ई-निविदा सूचना

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदारो/फर्मो जो आयकर, व्यापार कर/जी0एस0टी0 देहरादून में भी पंजीकृत हो, ऐसे फर्म/ठेकेदार अपनी श्रेणी के अनुसार टू-बिड (तकनीकी एवं वित्तीय) के आधार पर नीचे वर्णित एक कार्य को करने हेतु निविदा फार्म/बिल ऑफ क्वान्टिटी के साथ संलग्नक में अंकित विशिष्टियों हेतु ई-निविदा दिनांक 02.08.2023 को अपरान्ह 2.00 बजे तक [uktenders.gov.in](http://uktenders.gov.in) की बैबसाईट में प्रतिभाग/अपलोड कर सकते है। प्राप्त तकनीकी बिड को निविदा समिति /अधिकृत प्राधिकारी द्वारा दिनांक 02.08.2023 को सांय 2.00 बजे उपरान्त उपस्थित निविदादाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। नियत तिथि के उपरान्त प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आगणन में अंकित विशिष्टियों की मात्रा पूर्णत अनुमानित है इसमें परिवर्तन (घटत/बढत) सम्भावित है परन्तु भुगतान वास्तविक कार्य के माप/आंकलन के आधार पर किया जायेगा।


इच्छुक प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदार/फर्म द्वारा उक्त कार्य हेतु निविदा मूल्य रू0 5,900/- (जी0एस0टी0 सहित) की धनराशि का पे-आर्डर जो सचिव, एम0डी0डी0ए0 के पक्ष में हो, एवं निर्धारित राशि की धरोहर राशि जो एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0/एन0एस0सी0 के रूप में होगी, तथा अधिशासी अभियन्ता, म0दे0वि0प्रा0 के नाम बन्धक होगी, एवं शर्तों के अनुसार अन्य अभिलेखों को उक्त बैबसाईट में उक्त तिथि व समय तक निविदा प्रस्ताव के साथ स्कैन करना होगा तथा इन सभी की मूल प्रति एक सील बन्द लिफाफे में तकनीकी बिड के साथ दिनांक 01.08.2022 को अपरान्ह 2.00 बजे तक प्राधिकरण के सम्बन्धित अनुभाग में जमा करनी होगी। निर्धारित समय तक धरोहर राशि की एफ0डी0आर0 व निविदा मूल्य का ड्राफ्ट व अन्य अभिलेख जमा न करने की दशा में उस फर्म की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। अन्य शर्तें निविदा प्रपत्र, जी0 पी0 डब्लू0-9 एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा परफोरमेन्स सिक्यूरिटी एवं जमानत राशि हेतु जारी शासनादेश संख्या शासनादेश संख्या 1197/II (2)/07-75(सामान्य)/11 दिनांक 24-2-2014 एवं अन्य के अनुसार होगी। जी0एस0टी0 नियमानुसार देय होगी। समस्त निविदाओं की बैधता 90 दिन मान्य रहेगी।

क्र0	कार्य का नाम	अनु0 लागात (लाख)	धरोहर राशि	समय (माहो में)
1	हरिद्वार वाईपास पर रिवर फ्रन्ट डेवलपमेन्ट की भूमि पर प्रस्तावित आढत बाजार की चार दीवारी का निर्माण कार्य।	331.72	6,63,500.00	06

### अन्य नियम एवं शर्तें


1. निविदा के साथ मूल रूप में एवं ऑनलाईन निविदा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत किये जाने अनिवार्य है :-
  - निविदा वैधता के सम्बन्ध में रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर, एवं रू0 1.00 के रसीदी टिकट के साथ नोटराइज्ड हस्ताक्षरित शपथ पत्र।
  - सत्यता और शुद्धता के सम्बन्ध में रू0 100.00 के स्टाम्प पर एवं रू0 1.00 के रसीदी टिकट के साथ नोटराइज्ड हस्ताक्षरित शपथ पत्र।
  - लिटिगेशन की सूचना के सम्बन्ध में रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर एवं रू0 1.00 के साथ नोटराइज्ड हस्ताक्षरित शपथ पत्र।

- निविदा समिति के निर्णय/नो क्लेम के सम्बन्ध में रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर एवं रू0 1.00 के साथ रसीदी टिकट के साथ नोटराइज्ड हस्ताक्षरित शपथ पत्र।
- No Dues के सम्बन्ध में रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर एवं रू0 1.00 के साथ रसीदी टिकट के साथ नोटराइज्ड हस्ताक्षरित शपथ पत्र।  
(जी0एस0टी0, आई0टी0 व अन्य विभागों के सम्बन्ध में)६
- 2. उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 770/iii(2) 17-20(सामान्य) 2011 टी0सी0 दिनांक 12.06.2017 के अनुसार विभागीय दरों से 5 प्रतिशत से कम दरों पर निविदा देने पर अतिरिक्त परफोरमेंस सिक्क्योरिटी नियमानुसार जमा करनी होगी।
- 3. प्राधिकरण को बिना कारण बताये किसी एक निविदा अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार होगा।
- 4. ई-निविदा में प्रतिभाग करने में दूरसंचार एवं निविदा को बेवसाईट पर तकनीकी खराबी आदि से निविदादाता को होने वाली कठिनाइयों हेतु प्राधिकरण जिम्मेदार नहीं होगा।

  
 अधिशासी अभियन्ता  
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
 देहरादून ।

**प्रतिलिपि:-**

- 1-सचिव,म0दे0वि0प्राधि0देहरादून ।
- 2-मुख्य लेखाधिकारी म0दे0वि0प्राधिकरण देहरादून ।
- 3-अधीक्षण अभियन्ता, म0दे0वि0प्राधिकरण, देहरादून।
- 4-नगर निगम/लोक निर्माण विभाग/जिला परिषद/सिचाई विभाग के नोटिस बोर्डों पर चस्पा हेतु।
- 5-नाजिर म0दे0वि0प्राधि0 को इस आषय से प्रेषित व दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराकर अखबार की प्रति इस अनुभाग को उपलब्ध करायेगें ।
- 6- आई0टी0 अनुभाग को इस आशय से कि विज्ञप्ति को बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 7-प्राधिकरण नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।
- 8-सम्बन्धित पत्रावली पर संलग्न करने हेतु ।

  
 अधिशासी अभियन्ता  
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
 देहरादून ।